भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 349
21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- कानूनी एमएसपी ढांचा

349. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून बनाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कोई संपरीक्षा या समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने और उन्हें काफी कम कीमत पर विक्री से बचाने के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानती है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान वित्त वर्ष सहित विगत दस वित्तीय वर्षों में कानूनी एमएसपी ढांचा न होने के कारण किसानों को हुए अनुमानित मौद्रिक नुकसान के राज्य-वार, संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार आंकड़े प्रदान कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने एमएसपी पर कानून लागू करने के लिए कोई समयबद्ध रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो इसकी मुख्य उपलब्धियां और समय-सीमा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ई): प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विचार करने के बाद, पूरे देश के लिए 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बनाए रखने का पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रतिफल वाली सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की व्यापक योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर दिशानिर्देशों के अनुसार तब की जाती है जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत खरीद एजेंसियां नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। कपास और जूट की खरीद भी सरकार द्वारा क्रमशः कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है।

सरकार कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) भी लागू करती है, जो प्रधानमंत्री-आशा योजना का एक घटक है। ये उत्पाद नाशवान प्रकृति के होते हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन उत्पादों के

उत्पादकों को बंपर फसल होने पर, आवक के चरम समय में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं, तो मजबूरी में बिक्री करने से बचाना है। प्रचलित बाजार मूल्यों में पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट होनी चाहिए। यह योजना राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है।

सरकार ने 2024-25 सत्र से बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत मूल्य अंतर भुगतान (पीडीपी) का एक नया घटक शुरू किया है, जिसके अंतर्गत नाशवान फसलों के किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जाएगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास फसल की भौतिक खरीद करने या किसानों को एमआईपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर भुगतान करने का विकल्प है।

इसके अलावा, 2024-25 के सीजन से, सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत एक और घटक जोड़ा है, जिसके तहत किसानों के हित में शीर्ष फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को की जाएगी, ताकि उन्हें उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक पहुंचाया जा सके।

उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण एवं परिवहन आदि जैसी अन्य रसद/बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले जाते हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त, प्रमुख स्थानों पर अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं।

खरीद प्रक्रिया एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है और पिछले कुछ वर्षों में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीद प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है ताकि किसानों के बैंक खाते में सीधे एमएसपी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और आधार और भूमि अभिलेखों को केंद्र और राज्य के खरीद पोर्टलों से जोड़ा जा सके, जिससे किसानों को एमएसपी खरीद का सीधा लाभ मिल सके। एफसीआई द्वारा खरीद प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं...बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन, डिजिटाइज्ड मंडी/खरीद केंद्र संचालन का एकीकरण।

नेफेड के पास खरीद से लेकर निपटान तक संपूर्ण डिजिटलीकरण खरीद ई-समृद्धि पोर्टल के माध्यम से की जाती है। इन्वेंट्री का प्रबंधन दृष्टि पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। स्टॉक निपटान की सुविधा नेफेड पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। पंजीकरण और बेहतर पारदर्शिता के लिए पीओएस मशीनों की तैनाती की गई है। मॉडल खरीद केंद्रों के खुलने से सुचारू संचालन, बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और किसानों के लिए अधिक हितैषी खरीद प्रणाली का निर्माण हुआ है।

बढ़ी हुई एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि के आंकड़ों से स्पष्ट है। वर्ष 2004-2014 और 2014-2026 (जून 2026 तक) के दौरान किसानों को भुगतान की गई खरीद और एमएसपी राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

2004-2014		2014-2026 (जून 2026 तक)	
कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)
6,987	7.41	12,819	27.80

किसानों के लाभ के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल भी की हैं, जो इस प्रकार हैं।

(i) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

(ii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

(iii) प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)

(iv) कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

(v) 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और प्रोत्साहन

(vi) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

(vii) संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)

(viii) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)

(ix) कृषि निधि फॉर स्टार्ट-अप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज (एग्रीश्योर) (एक्स) प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन

(xi) कृषोन्नति योजना

(xii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
